संख्या : १६१३/पचास–यु०क०–९४–७/९४

प्रेषक

श्री ए० एन० सक्सेना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन

सेवा में,

निदेशक

युवा कल्याण एवं प्रशासकीय समादेष्टा,

प्रादेशिक विकास दल,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

युवा कल्याण अनुभाग : लखनऊ दिनांक : १६ मई, १९९५

विषय :– प्रतिभाशाली पहलवानों के प्रशिक्षण हेतु अखाड़ों की स्थापना एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष १९९४–९५ में २० जनपदों में राज्य के प्रतिभाशाली पहलवानों के प्रशिक्षण हेतु संलग्न परिशिष्ट १,२ एवं ३ के अनुसार अखाड़ों की स्थापना करने तथा विभिन्न स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित कराने के निमित्त रु० १,६१,१६,९१५/– (रु० एक करोड़ इक्सठ लाख सोलह हजार नो सौ पन्द्रह मात्र) की धनराशि की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं :–

(१) तद्हेतु रु० १,६१,१६,९१५/– की धनराशि निदेशक युवा कल्याण के निवर्तन पर रहेगी, जो कि निदेशक, युवा कल्याण द्वारा जनपदों को उपलब्ध करायी जायेगी।

(२) योजनानुसार ३१७ विकास खण्डों में स्थापित होने वाले अखाड़ों पर ७ x ७ मी० का टीन शेड तथा एक इण्डिया मार्क–२ हैण्डपम्प लगाया जाना है। उक्त निर्माण कार्य ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा स्टैण्डर्ड डिजाइन के आधार पर कराया जायेगा।

(३) उक्त निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि रू० १,१०,९५,०००/–(रु० एक करोड़ दस लाख पन्चान्नबें हजार मात्र) का व्यय तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक निर्धारित लागत के अन्दर तैयार किये गये आगणन एवं मानचित्र पर भारत द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन तथा उसके व्यय की स्वीकृति प्रदान न कर दी जाये।

(४) अखाड़ों की स्थापना हेतु संबंधित जिलाधिकारी द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जायेगी।

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(५) उपकरणों के क्रय के लिए संबंधित जिलाधिकारी द्वारा जिला स्तर पर एक समिति गठित की जायेगी, जो स्टोर परचेज नियमों के अनुसार उपकरण क्रय करेगी। इस समिति में मुख्य विकास अधिकारी, जिला क्रीड़ाधिकारी, जिलाधिकारी द्वारा नामित परगनाधिकारी, जिला युवा कल्याण अधिकारी तथा जनपद से एक युवक मंगल दल के अध्यक्ष नामित होगें।

(६) विभिन्न स्तरों पर अखाड़ों का संचालन एवं प्रतियोगिताओं का अनुश्रवण निम्नानुसार किया जायेगा :—

(क) प्रत्येक अखाड़े में एक रजिस्टर रखा जायेगा जिसमें गुरू/उस्ताद अपनी उपस्थिति प्रतिदिन भरेंगे। इनकी उपस्थिति संबंधित गांव सभा के प्रधान द्वारा सत्यापित की जायेगी। इस उपस्थिति की क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह के अन्त में सत्यापित कर गुरु/उस्ताद के उस महीने के मानदेय का भुगतान करने के संबंध में संबंधित खण्ड विकास अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी तथा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नियमानुसार यह भुगतान किया जायेगा।

(ख) इसी प्रकार ब्लाक तथा जिला स्तर पर स्थित अखाड़ों पर नियुक्त गुरु/उस्ताद की उपस्थिति क्रमशः क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी तथा जिला युवा कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापित की जायेगी तथा उनके मानदेय का भुगतान क्रमशः खण्ड विकास अधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(ग) विकास खण्ड स्तर पर अनुश्रवण खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संबंधित विकास खण्ड के क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी तथा विभागीय व्यायाम प्रशिक्षक, गांव सभा के प्रधान, संबंधित गांव सभा के युवक मंगल दल के अध्यक्ष द्वारा, गठित समिति करेगी। प्रधान के युवक मंगल दल के अध्यक्ष अपने गांव में चल रहे अखाड़े के बारे में खण्ड विकास अधिकारी व जिला स्तर पर जिला युवा कल्याण अधिकारी को सूचना देंगें।

(ध) जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी, जिला युवा कल्याण अधिकारी, जिला क्रीड़ा अधिकारी, संबंधित ब्लाक प्रमुख तथा संबंधित खण्ड विकास अधिकारी की समिति अनुश्रवण करेगी।

(ड.) प्रदेश स्तर पर निदेशक, युवा कलयाण व निदेशक द्वारा नामित तीन अधिकारियों की समिति अनुश्रवण करेगी।

ए० एन० सक्सेना

(७) उक्त व्यय वित्तीय वर्ष १९९४–९५ के आय–व्यय के अनुदान स०–१४ के अधीन लेखा शीर्षक–२२०४––खेलकूद तथा युवा सेवायें–आयोजनागत–८०० अन्य व्यय–०१–प्रदेश के प्रतिभागियों पहलवानों को कुश्ती का प्रशिक्षण–३३–अन्य व्यय

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

के नामें डाला जायेगा।

(८) ये ओदश वित्त विभाग के अशासकीय सं०–ई–२/१५३४/दस–९४ दिनांक ९/९/१९९४ में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ए० एन० सक्सेना)
विशेष सचिव।

पृष्ठाकन संख्या : १६१३ (१)/ पचास–यु०क०–९४–७/९४ तद्दिनांक :

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(१) आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

(२) संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(३) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(४) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–२

(५) वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–२

(६) नियोजन अनुभाग–३

(७) राज्य योजना आयोग–२

(८) संबंधित जिलाधिकारी, उ०प्र०।

(९) संबंधित जिला युवा कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(१०) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(एस० पी० बेंजवाल)
उपसचिव।

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

जनपद स्तर पर होने वाले व्यय का विवरण

ग्राम सभा स्तर

१– प्रदेश के २० जनपदों के ३१७ विकास खण्डों में दो अखाड़े प्रति विकास खण्ड की दर से कुल ६३४ अखाड़े (परिशिष्ट–३ में दिये गये विवरण के अनुसार) उपकरणों पर व्यय :–

(क) मुगदर (शीशम) एक जोड़ी २० कि०भार	४७५.००
(ख) डम्बुल (लोहे की) एक जोड़ी १५ कि० भार	३७५.००
(ग) चेस्ट इक्सपेन्डर एक	७५.००
	९२५.००
इस प्रकार ६३४ अखाड़ों का व्यय (६३४ x ९२५)	५,८६,४५०.००

२– **प्रत्येक आखाड़े में प्रशिक्षण देने के लिए कोच/गुरु के मानदेय पर ६ माह का व्यय (अक्टूबर, १९९४ से)**

(रु० २५० प्रतिमाह की दर से ६३४x२५०x६) = ९,५१,०००.००

३– प्रत्येक अखाड़े में प्रशिक्षण के साथ–साथ प्रतिमाह प्रतियोगितायें करायी जायेंगी। अत: प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार हेतु रु. २५/– प्रतिमाह की दर से व्यय (६३४x२५x६) ९५,१००.००

इस प्रकार ग्राम सभा स्तर पर कुल व्यय– १६,३२,५५०.००

ब्लाक स्तर

१– प्रदेश के ३१७ विकास खण्डों मे स्थित अखाड़ों के लिए टीन शेड (७x७) मीटर तथा एक इण्डिया मार्क–२ हैण्ड पम्प लगाने पर व्यय:–

(क) एक इण्डिया मार्क–२ हैण्ड पम्प	१५,०००.००
(ख) टीन शेड का निर्माण	२०,०००.००
	३५,०००.००

इस प्रकार विकास खण्ड में अखाड़ो के निर्माण पर कुल व्यय (३१७x३५,०००) १,१०,९५,०००.००

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

२— ३१७ विकास खण्डों पर प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता के आयोजन पर आवश्यक उपकरण व उन पर व्यय

(क) मुगदर (शीशम) ३ जोड़ी	२० किग्रा० (एक)	४७५.००
	३० किग्रा० (एक)	५७५.००
	४० किग्रा० (एक)	७००.००
		१,७५०.००
(ख) डम्बुल (लोहे की) ३ जोड़ी	१० किग्रा० (एक)	२५० ००
	१५ किग्रा० (एक)	३७५.००
	२० किग्रा० (एक)	४५०.००
		१,०७५.००
(ग) स्टाप वाच (एक)		४५०.००
(घ) भार मापने की मशीन (एक)		७५०.००
(ड.) घण्टा स्टैंड सहित (एक पीतल का)		३५०.००
(च) हथोड़ा (लकड़ी का) (एक)		२०.००
(छ) लाल, हरी पट्टी (टेरीकाट) (१०)		२००.००
(ज) चिकित्सा बाक्स (एक)		९५०.००
		२,७२०.००

इस प्रकार ३१७ ब्लाक पर कुल व्यय ३१७ x ५, ५४५/— १७,५७,७६५.००

३— ३१७ विकास खण्डों पर वर्ष में एक बार १० भार वर्ग की प्रतियोगिता कराये जान पर व्यय :—

(क) १० प्रथम पुरस्कार, रु० ३५ प्रति व्यक्ति (३५x१०)	३५०.००
(ख) १० द्वितीय पुरस्कार रु०—२५/—प्रति व्यक्ति (२५x१०)	२५०.००
(ग) मानदेय रु०—१०० प्रति व्यक्ति (निर्णयाक २x१००)	२००.००
(घ) छपाई (एक मुश्त)	२००.००
(ड.) जलपान (एक मुश्त)	२००.००
इस प्रकार कुल व्यय—(३१७ x १,२००)	३,८०,४०००.००

४— प्रत्येक विकास खण्ड में १० पहलवानों का वर्ष में ३ दिन का प्रशिक्षण

(क) भोजन (रु० २५ प्रति व्यक्ति) (१० x २५ x ३)	७५० ००

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(ख) आवास (रु० १० प्रति व्यक्ति) (१०x१०x३)	३००.००
(ग) २ कोच (रु० ५० प्रति व्यक्ति) (५०x२x३)	३००.००
(घ) चिकित्सा बाक्स (एक)	९५०.००
	२,३००.००

इस प्रकार ३१७ विकास खण्डों पर कुल व्यय (३१७x२,३००) ७,२९,१००.००

इस प्रकार ब्लाक स्तर पर कुल व्यय :—

१—	१,१०,९५,०००.००
२—	१७,५७,७६५.००
३—	३,८०,४००.००
४—	७,२९,१००.००
	१,३९,६२,२६५.००

जनपद स्तर पर व्यय

१— उपकरणों पर व्यय

(क) मुगदर (शीशम) ५ जोड़ी २० किग्रा० (दो जोड़ी)(४७५x२)	९५०.००
३० किग्रा० दो जोड़ी (५७५x२)	११५०.००
४० किग्रा० एक जोड़ी (७००x१)	७००.००
	२,८००.००
(ख) डम्बुल (लोहे की) ५ जोड़ी १० किग्रा०, दो जोड़ी (२५०x२)	५००.००
१५ किग्रा०, दो जोड़ी (३७५x२)	७५०.००
२० किग्रा०, एक जोड़ी (४५०x१)	४५०.००
	१,७००.००
(ग) चिकित्सा बाक्स (एक)	९५०.००
(घ) लाल/हरी पट्टी (टेरीकोट)—१०	२००.००
	१,१५०.००
कुल योग :— २८०० + १,७०० + १,१५०=	५,६५०.००
इस प्रकार २० जनपदों का कुल व्यय (२० x ५, ६५०/—)	१,१३,०००.००

२—जनपद स्तर पर कुल २० पहलवानों की वर्ष में १ द्विवसीय प्रतियोगिता सभी भार वर्ग में करायी जायेगी, इस पर आने वाला व्यय :—

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(क) भोजन २०x२५x१	५००.००
(ख) मार्गव्यय २०x४०x१	८००.००
(ग) मानदेय, ३ कोच (१००x३x१)	३००.००
(घ) प्रकीर्ण व्यय (एक मुश्त)	१,०००.००
(ड.) पुरस्कार पर व्यय (एक मुश्त)	१,०००.००
	३,६००.००

इस प्रकार २० जनपदों के लिए कुल व्यय–(२० x ३,६००/–) ७२,०००.००

३– २० जनपदों में जनपद स्तर पर सफल पहलवानों की वर्ष में एक बार ५ दिन का, २० पहलानों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जायेगा। इस पर आने वाला कुल व्यय :–

(क) भोजन २०x२५x५	२५००.००
(ख) आवास २०x१०x५	१०००.००
(ग) मानदेय, (दो प्रशिक्षक) (२x१००x५)	१०००.००
(घ) मार्ग व्यय (२०x४०)	८००.००
(ड.) चिकित्सा एवं प्रकीर्ण व्यय (एक मुश्त)	१०००.००
	६,३००.००

अत: २० जनपदों का कुल व्यय=

२० x ६,३०० =	१,२६,०००.००
इस प्रकार जनपद स्तर पर कुल व्यय – १–	१,१३,०००.००
२–	७२,०००.००
३–	१,२६,०००.००
	३,११,००.००

उपरोक्त विवरण के अनुसार ग्राम सभा, ब्लाक एवं जनपद स्तर के व्यय निम्न प्रकार हैं :–

१–(क) ग्राम सभा स्तर पर व्यय	१६,३२,५५०.००
(ख) विकास खण्ड स्तर पर व्यय	१,३९,६२,२६५.००
(ग) जनपद स्तर पर व्यय	३,११,०००.००
कुल योग	१,५९,०५,८१५.००

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

प्रदेश के २० जनपदों में स्थापित होने वाले अखाड़ों का विवरण

क्र०सं०	जनपद का नाम	विकास खण्डों की सं०	ग्राम सभा स्तर पर स्थापित होने वाले अखाड़ों की संख्या
१	२	३	४
१–	वाराणसी	२२	४४
२–	जौनपुर	२०	४०
३–	गाजीपुर	१६	३२
४–	मिर्जापुर	१२	२४
५–	बलिया	१७	३४
६–	गोरखपुर	१९	३८
७–	आजमगढ़	२१	४२
८–	मुरादाबाद	१९	३८
९–	मेरठ	१८	३६
१०–	गाजियाबाद	१०	२०
११–	एटा	१५	३०
१२–	मथुरा	१२	२४
१३–	इटावा	१४	२८
१४–	मुजफ्फरनगर	१४	२८
१५–	देवरिया	२९	५८
१६–	गऊ	९	१८
१७–	फैजाबाद	१८	३६
१८–	लखनऊ	८	१६
१९–	आगरा	१५	३०
२०–	मैनपुरी	९	१८
	योग :–	३१७	६३४

ए. एन. सक्सेना

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com